भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

भूमि संसाधन विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3336

दिनांक 28मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में भूमि स्वामित्व

3336. श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या **ग्रामीण विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि स्वामित्व के प्रबंधन को आधुनिक बनाने के लिए कोई प्रयास कर रही है;

(ख) विवाद समाधान को सरल बनाने, न्यायालयों पर बोझ कम करने और हाशिए पर पड़े समुदायों को सशक्त बनाने में डिजिटल रिकॉर्ड की क्या भूमिका है;

(ग) क्या सरकार द्वारा भूमि के डिजिटल रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कुल कितने भूमि रिकॉर्ड को पूरी तरह से डिजिटल किया गया है?

उत्तर

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री

(डॉ. चन्द्र शेखर पेम्मासानी)

(क) भूमि अभिलेखों के रख रखाव सहित, भूमि और भू-राजस्व, संविधान की 7वीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची II) के क्र.सं. 18 और 45 में सूचीबद्ध, राज्य का विषय है जिसमें भू-राजस्व, राज्य विशिष्ट अधिनियमों/नियमों/विनियमों द्वारा शासित होता है।

भारत सरकार, वर्ष 2016-17 से केन्द्र सरकार द्वारा 100% वित्तीय सहायता के साथ, देश में भूमि अभिलेखों/रजिस्ट्रीकरण प्रक्रिया के डिजिटलीकरण/कम्प्यूटरीकरण हेतु डिजिटल इण्डिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (डीआईएलआरएमपी) के नाम से एक व्यापक कार्यक्रम का

कार्यान्वयन कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य, एक आधुनिक, व्यापक और पारदर्शी भूमि अभिलेख प्रबंधन प्रणाली विकसित करना है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) भूमि से संबंधित रियल-टाइम सूचना में सुधार; (ii) भूमि विवादों में कमी लाना; (iii) धोखाधड़ी पूर्ण/बेनामी लेनदेनों पर रोक; (iv) राजस्व/रजिस्ट्रीकरण कार्यालयों में जाने की आवश्यकता से छुटकारा और; (v) विभिन्न संगठनों/एजेंसियों के साथ सूचना साझा करने हेतु सक्षम बनाना, शामिल हैं। इसको, छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित किया गया है।

(ख) डीआईएलआरएमपी, भूमि अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण और डिजिटलीकरण के लाभों के माध्यम से, जाति, पंथ, धर्म क्षेत्र, ग्रामीण अथवा शहरी, निर्धन अथवा धनी, किसान अथवा मजदूर अथवा उद्यमी आदि से परे, भारत के समस्त नागरिकों को सशक्त बनाने और लाभ पहुँचाने हेतु, भूमि सूचना और प्रबंधन प्रणाली को एकीकृत करने के लिए, एक डिजिटल पहल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के भूमि अभिलेखों को डिजिटलीकृत करने का लक्ष्य, अन्य बातों के साथ-साथ त्रुटि रहित, पारदर्शी और छेड़-छाड़रोधी भूमि अभिलेख उपलब्ध कराना, भूमि विवादों में कमी लाना, संपत्ति स्वामित्व के अंतरण की प्रक्रिया का सरलीकरण करना तथा नीति/नियोजन आदि में सहायता करना,है।

(ग)और(घ) जी हाँ। भूमि अभिलेखों का रखरखाव, संबंधित राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है। पूर्णतया डिजिटलीकृत (राज्य-वार) भूमि अभिलेखों की स्थिति का ब्यौरा **अनुबंध** में संलग्न है।

*****

अनुबंध

राज्य सभा में दिनांक 28.03.2025 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न संख्या 3336 के भाग (ग) तथा (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

भूमि अभिलेखों का कम्प्यूटरीकरण (सीएलआर)							
क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल गांव	आरओआर की संख्या			गांवों की संख्या जहां सीएलआर पूरा हो गया है	
			कुल	कंप्यूटरीकृत	%	संख्या	%
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	205	89,747	89,747	100.00	205	100.00
2	आंध्र प्रदेश	16,816	3,31,95,854	3,31,95,854	100.00	16,816	100.00
3	असम	22,543	43,57,936	41,38,417	94.96	19,868	88.13
4	बिहार	45,858	4,34,68,047	4,34,68,047	100.00	45,857	100.00
5	चंडीगढ़	25	25	25	100.00	25	100.00
6	छत्तीसगढ़	20,474	2,38,33,340	2,37,78,896	99.77	20,067	98.01
7	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	72	74,061	74,061	100.00	72	100.00
8	दिल्ली	198	12,791	11,388	89.03	42	21.21
9	गोवा	421	7,52,798	7,52,798	100.00	421	100.00
10	गुजरात	18,464	1,23,23,917	1,23,23,917	100.00	18,464	100.00
11	हरियाणा	7,102	36,14,314	36,14,314	100.00	7,102	100.00
12	हिमाचल प्रदेश	21,637	22,10,677	22,10,677	100.00	21,637	100.00
13	जम्मू और कश्मीर	6,850	6,850	6,796	99.21	4,832	70.54
14	झारखंड	32,860	27,31,472	26,98,027	98.78	32,648	99.35
15	कर्नाटक	30,110	1,93,23,831	1,93,23,831	100.00	30,110	100.00
16	केरल	1,666	2,72,36,450	2,72,36,450	100.00	1,666	100.00
17	लद्दाख	248	249	71	28.51	71	28.63
18	लक्षद्वीप	10	72,425	72,425	100.00	10	100.00
19	मध्य प्रदेश	56,952	5,27,75,680	5,27,75,680	100.00	56,742	99.63
20	महाराष्ट्र	44,534	2,62,74,755	2,62,74,755	100.00	44,534	100.00
21	मणिपुर	605	605	513	84.79	513	84.79
22	मिजोरम	640	3,31,160	3,31,160	100.00	640	100.00
23	ओडिशा	51,796	1,96,34,329	1,95,98,162	99.82	51,734	99.88
24	पुद्दुचेरी	129	2,57,939	2,57,939	100.00	129	100.00

25	पंजाब	13,005	5,66,967	5,61,396	99.02	12,956	99.62
26	राजस्थान	49,551	1,24,70,859	1,22,62,533	98.33	48,310	97.50
27	सिक्किम	421	1,85,329	1,71,848	92.73	405	96.20
28	तमिलनाडु	17,301	2,31,25,300	2,31,25,300	100.00	17,301	100.00
29	तेलंगाना	10,947	75,24,615	72,96,575	96.97	8,534	77.96
30	त्रिपुरा	897	13,25,145	13,25,145	100.00	897	100.00
31	उत्तराखंड	16,691	15,25,474	15,25,474	100.00	16,562	99.23
32	उत्तर प्रदेश	1,08,910	1,10,326	1,10,326	100.00	1,08,899	99.99
33	पश्चिम बंगाल	42,310	5,70,93,332	5,70,93,332	100.00	42,183	99.70
	महायोग	**6,48,198**	**37,65,29,956**	**37,57,05,879**	**99.78**	**6,30,252**	**97.23**

(स्रोत:डीआईएलआरएमपी एमआईएस दिनांक 24.03.2025)

नोट: *अधिकांश पूर्वोत्तर राज्यों में सामुदायिक स्वामित्व के मुद्दे के कारण अन्य राज्यों की तरह भूमि अभिलेख उपलब्ध नहीं है तथा लद्दाख ने पिछले कुछ वर्षों में ही डिजिटलीकरण का कार्य आरंभ किया है। उपर्युक्त आंकड़े, मौजूदा भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के हैं और इसमें वे क्षेत्र शामिल नहीं है जहां भूमिअभिलेख उपलब्ध नहीं हैं।*

******